

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

05/08/2022 15:41 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	IPC 1860	389
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/08/2022 Time (समय): 15:41 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 05/08/2022 15:41 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 100 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): चौकी किठाना, जिला कैथल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): RAJAUND

District (State) (जिला (राज्य)): KAITHAL (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अमन

(b) Father's Name (पिताका नाम): महेन्द्र सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	मण्डवाल, राजौन्दKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	मण्डवाल, राजौन्दKAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	स.उ.नि. मुकेश कुमार			1. पुलिस चौकी किठाना, राजौन्द कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	महेन्द्र सिंह			1. थाना राजौन्द, जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
3	अमन			1. थाना राजौन्द, जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी नकल लेख निम्न प्रकार से है:-

सेवा मे,

इन्सपेक्टर साहब

राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल

श्री मान जी,

निवेदन है कि अमन पुत्र श्री महेन्द्र सिंह वासी गांव मण्डवाल थाना राजौन्द जिला कैथल का रहने वाला हूँ। खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मेरे गांव मे मेरा दोस्त गुरुदेव सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह है जिसकी गांव मे करियाणा की दुकान है दिनांक 26.07.2022 को हमारे गांव के दलजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह वा प्रीत उर्फ हजारू पुत्र दलेर सिंह के खिलाफ मुकदमा न0 207 दिनांक 26.07.2022 धारा 15(सी) एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 थाना राजौन्द मे दर्ज है उस मुकदमा मे दलजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह गिरफ्तार हो चुका है तथा प्रीत उर्फ हजारू फरार मे चल रहा है जिसकी तफतीश मुकेश कुमार ASI चौकी किठाना दवारा की जा रही है। जो महेन्द्र सिंह व अमन दोनो पुलिस वाले थाना राजौन्द मे लगे हुये है जो महेन्द्र सिंह व अमन मेरे जानकार है जिनको मैं काफी दिनों से जानता हु। जो मुकदमा दर्ज होने के बाद दिनांक 01.08.2022 को समय 5 बजे शाम मेरी महेन्द्र से व दिनांक 02.08.2022 को अमन से बातचीत हुई थी जो अमन ने मुझे बतलाया था कि आपके दोस्त गुरुदेव सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह का इस मुकदमा मे मुकेश कुमार ASI ने फर्द इंकसाफ मे नाम लिखा हुआ है अगर मुकदमा से गुरुदेव सिंह का नाम कटवाना है तो अपने दोस्त से बात चीत करके हमे बतला देना जो मुकदमा से नाम कटवाने की एवज मे 3 लाख रुपये देने होंगे जिस बारे मैंने अपने दोस्त से गुरुदेव सिंह से बात की जो गुरुदेव सिंह ने मुझे बतलाया कि इस मुकदमा मे मेरा कोई रोल नहीं है जो मेरा नाम झुठा लिखवा रहे है। जो मैंने अपने दोस्त गुरुदेव सिंह के कहने पर थाना राजौन्द जाकर महेन्द्र सिंह व अमन से बातचीत की जिन्होंने बतलाया कि हमारी इस केस के आई ओ मुकेश कुमार से बात हो गई है जो गुरुदेव सिंह का इस मुकदमा से नाम हटवाने की एवज मे कम से कम 1.50.000/- रुपये तो देने ही पडेगे। जो मैंने अपने दोस्त गुरुदेव सिंह से रिश्त के पैसे देने बारे कहा तो मेरे दोस्त ने रिश्त के तौर पर पैसे देने से मना कर दिया। जो महेन्द्र व अमन कह रहे है कि अगर रुपये नहीं दिये तो मेरे दोस्त को इस मुकदमे मे झुठा फसवा देगे जो महेन्द्र सिंह व अमन मुझ पर व मेरे दोस्त पर रिश्त के रुपये लेने का मेरे माध्यम से दवाब बना रहे है। जो महेन्द्र व अमन दोनो षडयन्त्र रच कर रुपये की मांग कर रहे है। जो आज महेन्द्र सिंह व अमन ने मेरे को 1.50.000/- रुपये लेकर बुलाया है जो मेरा दोस्त गुरुदेव सिंह व मैं 1.50.000/- रुपये रिश्त राशी महेन्द्र सिंह व अमन को नहीं देना चाहते है इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु। दिनांक 4-08-2022 को समय करीब 11.15 बजे सुबह थाना राजौन्द मे मेरी अमन व महेन्द्र से हुई बातचीत की रिकार्डिंग व इससे पहले की रिकार्डिंग मेरे पास है जिसको मैं बाद मे आपको पेश कर दुंगा। इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

-SD-

अमन पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

वासी गांव मण्डवाल

थाना राजौन्द जिला कैथल

दिनांक 05.08.2022

मो.8295071617

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय ASI निर्मल न. 961/KNL मय ASI अरविन्द न. 1274-KNL ESI जसवीर सिंह न. 804-KNL ESI जसपाल सिंह न. 512 KNL ASI दीपक कुमार न. 875 KNL HC प्रवीण कुमार न. 949 PPT HC रूकमेश न. 903 PPT मय गाड़ी सरकारी जिसका न. HR03Y 7627 जिसका चालक सि0 महेश कुमार 181 YNR के बराये कार सरकार खुफिया ड्यूटी कैथल चौक असन्ध मौजूद हूँ कि शिकायतकर्ता अमन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह वासी गांव मण्डवाल थाना राजौन्द जिला कैथल नें एक हस्त लिखित शिकायत पेश जो शिकायत के मजबून से सूत जुर्म जेर धारा 7, 7A PC Act. 384, 389, 120-B IPC का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त HC रूकमेश न. 903- PPT के अरसाल थाना रा.चौ.ब्यु. अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद करने दर्ज रजि0 मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। मुकदमा की स्पैशल रिपोर्ट बजरिया ई-मेल उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावे। मन नि. मय साथी मुलाजमान मय शिकायतकर्ता अमन उपरोक्त मय गाड़ी सरकारी के बराये करवाने ड्यूटी मैजीस्ट्रेट नियुक्त उपायुक्त कार्यालय कैथल का होती हूँ। किट बैग लेपटाप प्रिन्टर पहले से ही साथ है।

हस्ताक्षर अंग्रेजी SD प्रवीण कुमारी

नि0

रा.चौ.ब्यूरो,

करनाल मण्डल, करनाल

दिनांक 05.08.2022

At 11:30 AM

अज थाना:- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त बादस्त मु.सि. रूकमेश न. 903/पानीपत के थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 17 दिनांक 05.08.2022 धारा 7, 7A PC Act. 384, 389, 120-B IPC थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आने वाले मु.सि. रूकमेश न. 903/पानीपत के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व निजद अनुसंधानकर्ता महिला निरीक्षक प्रवीण कुमारी घटना स्थल पर भेजा जा रहा है। अनुसंधान अधिकारी, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल से होने व थाना राज्य चौकसी ब्यूरो में इनकी आई-डी न होने के कारण अनुसंधान कर्ता निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, कैथल को दिखाया जा रहा है। जो अभियोग में अनुसंधानकर्ता महिला निरीक्षक प्रवीण कुमारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा में भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 50 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

